कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

संख्याः /व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनॉकः जनवरी25 ,2021

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग के पत्र संख्याः 135/XXIII/2020/04(01)/2020 देहरादून दिनॉक फरवरी 22, 2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनॉक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 तथा शासनादेश संख्याः 20(1)/XXIII-I/2021–04(01)/2020 देहरादून दिनॉक जनवरी 20, 2021 एवं तद्क्रम में जारी कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 15952–55/सात लाई0–वी–369/व्यव0/2020–21/सा0निर्देश/विज्ञप्ति/दे0दून0/दिनॉक जनवरी 22, 2021 में दी गई व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 की शेष अवधि हेतु जनपद नैनीताल की 05 अव्यवस्थापित देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को अधिकतम प्राप्त राजस्व पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु ऑफर व्यवस्थापन की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनॉक 31.03.2021) तक अवशेष राजस्व के न्यूनतम 50 प्रतिशत की सीमा तक जिलाधिकारी के स्तर पर ऑफर आंमत्रित कर, आवंटित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति/सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्त हेतु निम्नवत् कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में ऑफर आंमत्रित किये जाते है–

विवरण	दिनॉक व समय
ऑफर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनॉक 30.01.2021 को सायं 05:00 बजे तक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल, कलेक्ट्रेट परिसर, तल्लीताल, नैनीताल।
ऑफर खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनॉक 01.02.2021 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, तल्लीताल, नैनीताल।

व्यवस्थापन हेतु अवशेष मदिरा की दुकानों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	प्रकार	मदिरा दुकान का नाम	दिनॉक 01.02.2021 से 31.03.2021 तक पूर्ण राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क (दिनॉक 01.02.2021 से 31.03.2021 तक)	शेष अवधि हेतु एम0जी0डी0 (दिनॉक 01.02.2021 से 31. 03.2021 तक)	वांछित हैसियत (कॉलम संख्या 04 का 10 प्रतिशत)	वांछित घरोहर (कॉलम संख्या 04 का 2.5 प्रतिशत)
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**
01	देशी	मल्लीताल नं0 1	11111083	111000	11000083	1111108	277777
02	देशी	मल्लीताल नं0 2	11111083	111000	11000083	1111108	277777
03	देशी	लालकुऑ नं0 2	7690917	77000	7613917	769092	192273
04	देशी	कोटाबाग नं0 1	5782333	58000	5724333	578233	144558
05	देशी	कोटाबाग नं0 2	5782333	58000	5724333	578233	144558

अव्यवस्थापित मदिरा की फुटकर दुकानों के सम्बन्ध में पात्रता हेतु शेष शर्तें पूर्व में निर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्याः 1387/सात लाई–वी–369/व्यव0/2020–21/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/दे0दून/दिनॉक मई 27, 2020 के अनुसार रहेंगी।

उपरोक्त मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित अन्य कोई भी विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी का होगा।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

संख्याः 1892/व्यवस्थापन/अवशेष मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र0) महोदय, जनपद–नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त महोदय, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेवसाईट **www.uttrakhandexcise. org** पर अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त महोदय, कुमाऊॅ मण्डल, हल्द्वानी।
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेवसाईट **www.nainital.nic.in** पर अपलोड करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 26.01.2021 को ही प्रकाशित होने वाले उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1, 2, 3 को कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, उप–तहसीलें, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा करने हेतु प्रेषित।

जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।